विजेन्द्र बनाम कुलदिप मु.नं. 88/21

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20-2-25	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। अवसर दिया गया। वास्ते अन्तिम बहस दिनांक 3.3.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
3.3.25	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17.3.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सत्यमेव जयते सीकर
17.3.25	पत्रावली पेश। P.O. साहब अवकाश पर होने से पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18.3.25 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
18.3.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट रीमांड की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 88 / 2021

1 विजेन्द्र पुत्र श्री सुमन सिंह उम्र 62 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम गावड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 फूलसिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह
2 रविन्द्र सिंह पुत्र श्री रावतसिंह
3 अशोक सिंह पुत्र श्री रावतसिंह
4 शेरसिंह पुत्र श्री रावतसिंह
5 सज्जन सिंह पुत्र श्री रावतसिंह
6 विक्रम सिंह पुत्र श्री रावतसिंह
7 मुकेश सिंह पुत्र श्री रावतसिंह
8 नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रेवतसिंह
9 सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रेवतसिंह
10 महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रेवतसिंह
11 कपिन्द्र सिंह पुत्र श्री रेवत सिंह
12 भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री रेवत सिंह
13 निर्मला पुत्री श्री रेवत सिंह
14 उर्मिला पुत्री श्री रेवत सिंह
15 सुशीला पुत्री श्री रेवत सिंह
16 सन्तु सिंह पुत्र श्री रिछपाल सिंह
17 माधोसिंह पुत्र श्री औंकार सिंह
18 महिपाल सिंह पुत्र श्री प्रभूसिंह
19 जयसिंह पुत्र श्री प्रभूसिंह
20 देवीसिंह पुत्र श्री प्रभूसिंह
21 छाजूसिंह पुत्र श्री मांगूसिंह
22 सुशीला पत्नी श्री रामनारायण

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

23 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलदेवसिंह
24 भगवान सिंह पुत्र श्री बलदेवसिंह
25 मानसिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
26 रतन सिंह पुत्र श्री बाल सिंह
27 गोविन्द सिंह पुत्र श्री सुगनसिंह
28 महावीर सिंह पुत्र श्री मूंगसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
29 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2021
दावा संख्या 146/2018 बउनवानी फूलसिंह आदि
बनाम रतनसिंह आदि उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
श्री बृजेश कुमार (आरएएस)

उपस्थिति :
1. श्री ईश्वरलाल यादव, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 18/3/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 146/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 438 जिसके नये खसरा नम्बर 243, 244, 245, 246, 247, 258, 259 वाके ग्राम गांवड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर पुराने 438 नये 243, 244, 245, 246, 247, 258, 259 तन गांवड़ी की खातेदारी है उसमें पुरानी जमाबन्दी में अपीलान्ट के पिता सुगनसिंह का हिस्सा 1/72 है और सुगन सिंह की मृत्यु के बाद अपीलान्ट का हिस्सा 1/72 अपीलान्ट के नाम से दर्ज है लेकिन वादीगण व प्रतिवादीगण (रेस्पोडेन्टस) ने मिलकर अपीलान्ट को बिना किसी जानकारी व दावे में पार्टी बनाये हुये यह चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का सजरा खानदान को भी सही तरह से पेश किया गया। देवीसिंह पुत्र खान सिंह अविवाहित फौत हो गया जिसकी जमीन उसके भाई गिरधारी सिंह के वारिसान के आनी चाहिए थी, गिरधारी सिंह के वारिस कालू सिंह के कल्याण सिंह के वारिस सुगनसिंह, सुगनसिंह के वारिस अपीलान्ट विजेन्द्र सिंह है लेकिन वाद में वादीगण व प्रतिवादीगण (रेस्पोडेन्टस) ने मिलकर देवी सिंह की 1/2 हिस्सा अपना अकेला का बताकर दावे को गलत आधारों पर डिक्री करवा लिया गया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गई। वादीगण देवी सिंह के वारिस बताये गये, देवीसिंह की विरासत वादीगण द्वारा किस प्रकार पहुंची, कोई तथ्य वाद में सही ढंग से अंकित नहीं की गई है। गिरधारी सिंह के दो लड़के नारूसिंह व कालुसिंह हुए, एवं उसके वारिस उनकी मृत्यु के बाद वारिस हुए उन सभी को देवीसिंह पुत्र श्री खानसिंह की भूमि जो वाद पत्र में अंकित की गई है उसमें 1/2 हिस्सा सभी को पहुंचनी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

चाहिए थी। देवीसिंह की विरासत वादीगण को किस प्रकार से प्राप्त हुई, दावे में कहीं भी साबित नहीं किया गया है। एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है न दिये जा सकते है एवं एडवर्स पजेशन के अभिवचन के आधार पर वादीगण कानूनन नहीं ले सकते है लेकिन विचारण न्यायालय ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना मनमाना निर्णय व डिक्री पारित की जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2021 को है इस निर्णय की अपीलान्ट को अक्टूबर 2021 को जानकारी हई, निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 29.10.2021 को लगाई गई और नकल दिनांक 01.11.2021 को प्राप्त होने पर यह अपील अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। ग्राम गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में पुराने खसरा नम्बर 438 रकबा 13.48 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 243, 244, 245, 246, 247, 258, 259 कुल किता 7 कुल रकबा 13.48 हैक्टेयर में से 1/12 हिस्सा अपीलान्ट के कब्जे काश्त का खातेदार है। इन भूमियों के संबंध में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना में मु.नं. 146/2018 पेश प्रतिवादीगण (रेस्पोडेन्टस) द्वारा पेश किया गया और अपीलान्ट को पक्षकार बनाये जाये बिना ही दावा का निर्णय व डिक्री किया गया। अपीलान्ट को इस संबंध में कोई नोटिस व जानकारी नहीं हुई। इस निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2021 से अपीलान्ट के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ता तथा उक्त निर्णय व डिक्री के आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। निरस्त होने योग्य है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2021 से अपीलान्ट के हित प्रभावित होते है तथा न्यायालय ने अपने अधिकारों को रख सके अपीलान्ट को अपील प्रस्तुती की इजाजत दिया जाना प्रार्थनीय है इसलिए प्रार्थी को अपील प्रस्तुत किये जाने की परमिशन दिये जाने की आज्ञा प्रदान करें। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर पुराने 438 नये 243, 244, 245, 246, 247, 258, 259 तन गांवड़ी की खातेदारी है उसमें पुरानी जमाबन्दी में अपीलान्ट के पिता सुगनसिंह का हिस्सा 1/72 है और सुगन सिंह की मृत्यु के बाद अपीलान्ट का हिस्सा 1/72 अपीलान्ट के नाम से दर्ज है लेकिन वादीगण व प्रतिवादीगण (रेस्पोडेन्टस) ने मिलकर अपीलान्ट को बिना किसी जानकारी व दावे में पार्टी बनाये हुये विचारण न्यायालय से विचाराधीन निर्णय प्राप्त किया है। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने के अनुमति प्रदान की जाती है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में लंबित वाद, कार्यवाही एवं निर्णय की अपीलांट को पूर्व से जानकारी होने का कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार संयोजित किये बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 18/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर